कार्यालय– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

कालीबाबू स्ट्रीट, राँची–834001, फोन–0651–2214012, फैक्स–0651–2217159, ईमेल–rdderanchi2018@gmail.com

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन सम्बन्धि आवश्यक दिशा–निर्देश
प्रशिक्षण सत्र 2017–19

दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, बुण्डू/सिमडेगा (पुरूषों के लिए) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) रातू, राँची (महिलाओं के लिए) में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सत्र 2017–19 में नामांकन हेतु दिशा–निर्देशः –

1. इस कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या– 01/2020 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत चयनित छात्र–छात्राओं का उपलब्ध कराये गये मेधा सूची 01 अनुसार निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन लिया जाना है, जिसके अन्तर्गत निर्धारित आवश्यक अहर्त्ता निम्नांकित है।

(क) शैक्षणिक योग्यता :– मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद् से उच्च माध्यमिक परीक्षा/इंटरमीडियट अथवा उसके समकक्ष किसी अन्य परीक्षा में कम–से–कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा विकलांग कोटि के उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ख) आवासीयः– अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक **31.08.2020** के पूर्व का निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों का ही नामांकन किया जाय।

(ग) उम्रः–नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों की उम्र पहली जुलाई, 2017 को न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है।

(घ) आरक्षण :–आरक्षित सीट अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अंचलाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक **31.08.2020** के पूर्व का निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नामांकन नहीं लिया जायेगा।

(ड़) एन0सी0सी0/खेलकूद में राज्यस्तरीय अथवा भारत देश के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्रः– इस वर्ग अन्तर्गत अतिरिक्त मेधांक प्राप्त कर मेधा सूची में चयन होनेवाले अभ्यार्थियों को एन0सी0सी0 (बी0/सी0 श्रेणी) से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की गहनता एवं सूक्ष्मता से जांच कर संतुष्ट होने के उपरांत ही इन अभ्यर्थियों का नामांकन लिया जाय।

(च) दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थीः– दिव्यांग उम्मीदवारों को जिला असैनिक शल्य चिकित्सक –सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की उपलब्धता पर ही इन्हें दिव्यांग कोटि से अपने सम्वर्गीय कोटी में क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। इस सम्बन्ध में आरक्षण हेतु निःशक्तता का प्रवर्ग विज्ञप्ति संख्या–01/2020 में भी दर्शाया गया है, जो कार्यालय के वेबसाइट **www.rddescdranchi.com** में भी उपलब्ध है।

(छ) आवेदन शुल्क :– अभ्यर्थियों को नामांकन के समय आवेदन शुल्क का बैंक चालान की छायाप्रति उपलब्ध करना आवश्यक होगा।

उक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का कोविड–19 हेतु सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की दो–दो प्रति सम्बन्धित अभ्यर्थियों से प्राप्त कर एक प्रति की मूल प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बन्धित संस्थान के प्राचार्य द्वारा सत्यापित करते हुए अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाय, क्योंकि तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का महाविद्यालय स्तर पर जांच के उपरान्त नामांकन पश्चात अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय के प्रशिक्षण कोषांग द्वारा भी सुक्ष्मता से जांच की कार्रवाई की जायेगी।

सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की उपलब्धता वाले चयनित अभ्यर्थियों का अपने संस्थान में औपबंधिक रूप से नामांकन लेते हुए एक माह के अन्दर नामांकित अभ्यर्थियों का ऑनलाईन कक्षा भी संचालित करने की कारवाई की जाय।

निर्धारित समय–सीमा उपरान्त अनामांकित/रिक्त रहने वाले सीटों के लिए कार्यालय द्वारा द्वितीय मेधा सूची जारी किया जायेगा, जिसके आधार पर रिक्तियां में भी नामांकन की कारवाई की जा सकेगी।

13.8.2021

(अरबिन्द विजय बिलूंग)
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

Scanned by CamScanner